

प्रकरण सं-2

न्यायालय जिला कलक्टर, जोधपुर
गोपाल सिंह भारी, धनाग्र अग्रय प्रकाश के कायदा
(गंगानगर सुगर मिल लिक्विडेशन) मुकार

10/6
24

~~...~~
200/...

पत्रावली पेश हुई। प्राचीपक्ष उपस्थित। अप्राचीपक्ष के नोटिस लानिली प्राप्त हुई। अप्राचीपक्ष उपस्थित। उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त जिसे लानिली पत्रावली किया जाय। अप्राचीपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पत्रावली दिनांक 18/6/24 को पेश हो। P.O. मही. प्रशासनिक कीटिंग में व्यक्त है।

B.O.

18/06
24

200/...

~~...~~
वकील प्रकाश

34
18/6/24

पत्रावली पेश हुई। प्राची व प्राचीपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। अप्राची रजवीर कच्छगट/कुमार व रमेश कुमार मुचार व अप्राचीपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। अप्राचीपक्ष की ओर से राजस्व वाद के न्यायालय स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं की गई। इस सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर (उत्तर) द्वारा प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट में राजस्व वाद पत्रावली के अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना बताया। अतः प्राचीना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व वाद न्यायालय सहायक कलेक्टर व उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर (उत्तर) में न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर में स्थानान्तरित किया जाता है। आदेश सुनाया गया। आदेश की प्रति सम्बन्धित अधिकारी को पलनार्थ व सूचनार्थ प्रेषित है।

✓

जिला कलक्टर, जोधपुर (यच.)